प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

माननीय श्री प्रीतिंकर दिवाकर न्यायाधीश

दांडिक अपील सं. – 173/2007

अपीलार्थीगण पिंटू उर्फ लंगड़ा एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थी **छत्तीसगढ़ राज्य**

दांडिक अपील सं. – 650/2007

अपीलार्थीगण मो. नसीम

बनाम

प्रत्यर्थी **छत्तीसगढ़ राज्य**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दिनाँक 11.5.2012 को निर्णय की उद्घोषणा हेतु सूचीबद्ध करें

हस्ताक्षरित

प्रीतिंकर दिवाकर

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

माननीय श्री प्रीतिंकर दिवाकर न्यायाधीश

दांडिक अपील सं. – 173/2007

अपीलार्थीगण पिंटू उर्फ लंगड़ा एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थी **छत्तीसगढ़ राज्य**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दांडिक अपील सं. – 650/2007

अपीलार्थीगण मो. नसीम

बनाम

प्रत्यर्थी **छत्तीसगढ़ राज्य**

अपीलार्थी की ओर से श्री समीर सिंह एवं इम्तियाज़

अली अधिवक्ता ।

प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से श्री चंद्रेश श्रीवास्तव

पैनल अधिवक्ता ।

<u>दांडिक अपील अंतर्गतधारा 374 भारतीय दण्ड संहिता</u>

<u>निर्णय</u>

<u>(11.05.2012)</u>

1. चूंकि ये दोनों अपीलें अपर सत्र न्यायाधीश एफ.टी.सी. बिलासपुर द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 288/2006 में पारित एक ही निर्णय और आदेश दिनांक 02.02.2007 से प्रोद्भूत हुई हैं, जिसमें अभियुक्तगण /अपीलर्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 395 के तहत दोषसिद्ध किया गया है और उनमें से प्रत्येक को 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 100 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है, और अर्थदंड के भुगतान में व्यतिक्रम होने पर तीन महीने के अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा, अतः इन्हें इस समान निर्णय द्वारा निराकृत किया जा रहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 24.02.2006 को जब शिकायतकर्ता ओमप्रकाश ओझा, जो भाटापारा के निवासी हैं, लिंक एक्सप्रेस के कोच नंबर एस-2 में कोरबा से यात्रा कर रहे थे, तब शाम लगभग 7:30 बजे जब ट्रेन बिल्हा रेलवे स्टेशन से छूटने वाली थी, अभियुक्तगण ने उक्त कोच में प्रवेश किया। अभियुक्त मो. नसीम ने शिकायतकर्ता का ब्रीफकेस छीनने का प्रयास किया और जब उन्होंने उसे सौंपने से इनकार कर दिया, तो उसने गोली चलाई और शिकायतकर्ता का ब्रीफकेस लेकर भाग गया, जिसमें 4,46,930 रुपये नकद थे, और उसके साथ 6-7 अन्य अभियुक्त भी थे। तत्पश्चात, जब वे उक्त कोच से भागने की कोशिश कर रहे थे, यात्रियों का शोर सुनकर कुछ लोगों ने उनका पीछा किया और दो अभियुक्तगण को पकड़ने में सफल रहे, जिन्होंने पूछताछ पर अपना नाम पिंटू उर्फ लंगड़ा और शिव लखन बताया और यह भी सूचित किया कि उनके साथ 4-5

अन्य व्यक्ति भी थे, नामतः पिंकू, सुधीर यादव, रमेश साव और जितेन्द्र पासवान। शिकायतकर्ता (अ.सा.-1) के कहने पर रेलवे स्टेशन बिल्हा में देहाती नालिसी प्रदर्श पी-16 दर्ज की गई थी और उसी के आधार पर दिनांक 25.2.2006 को अभियुक्त पिंटू उर्फ लंगड़ा, शिव लखन और पांच अन्य के विरुद्ध धारा 395 भा.दं.सं. और आयुध अधिनियम की धारा 25 एवं 27 के तहत प्रथम प्रदर्श पी-22 दर्ज की गई । अभियोजन का आगे का मामला यह है कि घटना के बाद, अभियुक्त/अपीलार्थी मोहम्मद नसीम को रेलवे स्टेशन बिल्हा से गिरफ्तार किया गया था, जो शिकायतकर्ता का ब्रीफकेस, पहचान पत्र और मासिक सीजन टिकट तथा 4,46,930 रुपये नकद ले जा रहा था। अन्वेषण के पश्चात, दिनांक 22.5.2006 को अभियुक्त पिंटू उर्फ लंगड़ा और मोहम्मद नसीम के विरुद्ध धारा 395 भारतीय दंड संहिता तथा आयुध अधिनियम की धारा 25 एवं 27 के अंतर्गत चालान प्रस्तुत किया गया , जिसमें अन्य अभियुक्तगण , यथा पिंकू उर्फ संतोष, सुधीर यादव, जितेन्द्र पासवान और रमेश साव को उक्त धाराओं के अंतर्गत ही फरार दर्शित किया गया था ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अपने मामले के समर्थन में, अभियोजन ने कुल 19 साक्षियों का परीक्षण कराया है । अभियुक्तगण के कथन भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों से इनकार किया और स्वयं के निर्दोष होने तथा मामले में झूठा फँसाए जाने का अभिवाक किया ।

4. पक्षकारों को सुनने के पश्चात, अधीनस्थ न्यायालय ने अभियुक्तगण/अपीलर्थीगण को आयुध अधिनियम की धारा 25 एवं 27 के आरोप से दोषमुक्त कर दिया, किंतु उन्हें इस निर्णय के पैरा क्रमांक 1 में उल्लेखित अनुसार दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया ।

5. दिनांक 02.02.2007 को निर्णय की उद्घोषणा के पश्चात, यह कहा गया है कि अभियुक्त सुधीर यादव को दिनांक 02.02.2009 को रेलवे मजिस्ट्रेट, बिलासपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और वहां उसका भी उसी सत्र विचारण में विचारण किया गया, उसे पहले से परीक्षित साक्षियों का प्रति-परीक्षण करने का अवसर दिया गया और 19 साक्षियों के अतिरिक्त उक्त अभियुक्त के संबंध में चार और साक्षियों का परीक्षण कराया गया और तत्पश्चात उसे दिनांक 27.08.2009 के निर्णय और आदेश द्वारा धारा 395 भा.दं.सं. के अंतर्गत अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है ।

6. पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना गया और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. अभियुक्तगण/अपीलर्थीगण के अधिवक्ता का तर्क है कि घटना की तिथि और समय पर बिल्हा रेलवे स्टेशन पर पूर्णतः अंधेरा था और इसलिए अभियुक्त व्यक्तियों की गिरफ्तारी केवल संदेह के आधार पर की गई है। उन्होंने तर्क दिया कि अभियुक्त पिंटू उर्फ लंगड़ा, शिव लखन और मोहम्मद नसीम भी उक्त ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, किंतु दुर्भाग्यवश उन्हें अभियुक्त बना दिया गया और उनके द्वारा किए गए प्रकटीकरण के आधार पर अन्य व्यक्तियों को भी अभियुक्त के रूप में नामित किया गया है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि जहाँ तक अभियुक्त पिंटू उर्फ लंगड़ा और शिव लखन का संबंध है, जब्ती के साक्षियों ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है। अभियुक्त मोहम्मद नसीम के संबंध में यह तर्क दिया गया है कि उन्हें मनमोहन गिरी (अ.सा.-6) और उपेन्द्र (अ.सा.-17) के बयानों के आधार पर अभियुक्त बनाया गया है, जो बिल्हा रेलवे स्टेशन के पास रह रहे थे और अभियोजन के अनुसार इन दो साक्षियों ने अभियुक्त/अपीलार्थी मोहम्मद नसीम को बिल्हा रेलवे स्टेशन के पास देखा था। अंत में, उन्होंने निवेदन किया कि अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण 24 और 25.02.2006 से जेल में हैं, अतः उन पर

अधिरोपित कारावास के दंड को उनके द्वारा पूर्व में व्यतीत की गई अवधि तक कम किया जा सकता है।

8. इसके विपरीत, आलोच्य निर्णय का समर्थन करते हुए प्रत्यर्थी/राज्य के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अभियुक्त गणों द्वारा चलती ट्रेन में डकैती का एक अत्यंत दुस्साहसिक कृत्य कारित किया गया है, जहाँ शिकायतकर्ता से बंदूक की नोक पर 4,46,930/- रुपये की राशि की लूट की गयी । उन्होंने तर्क दिया कि अभियुक्त पिंटू उर्फ लंगड़ा और शिव लखन को घटनास्थल पर ही गिरफ्तार किया गया था, जबकि अभियुक्त मोहम्मद नसीम को कुछ ही घंटों के भीतर लूटी गई रकम, शिकायतकर्ता के मासिक सीजन टिकट और पहचान पत्र के साथ गिरफ्तार किया गया था । उनके अनुसार, अभियुक्त मोहम्मद नसीम की पहचान दिनेश कुमार (अ.सा.-12) द्वारा की गई थी । उन्होंने आगे यह तर्क दिया कि न्यायालय में शिकायतकर्ता ने सभी अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान की है और यह न्यायालयीन पहचान, साक्ष्य का एक मूल अंश होने के कारण, अविश्वास करने योग्य नहीं है । उन्होंने यह भी कहा कि अन्य साक्षियों ने भी अभियोजन के मामले का समर्थन किया है । उनके अनुसार, सभी अभियुक्त व्यक्ति बिहार के निवासी हैं और यदि वे वास्तव में यात्रियों के रूप में यात्रा कर रहे थे, तो उन्हें उस संबंध में रेलवे टिकट, सामान और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए थे । अंत में, उन्होंने निवेदन किया कि अभियुक्तगण /अपीलर्थीगण पर अधिरोपित दंड पूर्णतः पर्याप्त है और उनके द्वारा निभाई गई भूमिका को देखते हुए इसे कम किए जाने की आवश्यकता नहीं है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. शिकायतकर्ता ओमप्रकाश ओझा (अ.सा.-16) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि पिछले 10 वर्षों से वह 'नारायण इंडस्ट्री' में मुनीम के रूप में कार्य कर रहा था और नगद राशि के संग्रहण के संबंध में वह कोरबा जाया करता था । दिनांक 24.02.2006 को उसने मैडम सैनी से 2,27,930 रुपये गुप्ता और संतोष सिंह से 1,10,000-1,10,000 रुपये प्रत्येक

से एकत्रित किए थे, इस प्रकार कुल 4,47,930 रुपये हुए, जिनमें से 1,000 रुपये उसने व्यक्तिगत व्यय के लिए अपने पास रखे थे और शेष 4,46,930 रुपये की राशि एक सूटकेस में रखी थी, जिसमें उसका पहचान पत्र और मासिक सीजन टिकट भी था । शाम लगभग 7.30 बजे जब ट्रेन बिल्हा रेलवे स्टेशन से छूटने वाली थी, एक व्यक्ति उसके पास आया और उसके सीने पर पिस्तौल रखकर उसने सूटकेस छीनने का प्रयास किया, किंतु चूंकि उसने उसे मजबूती से पकड़ रखा था, उस व्यक्ति ने गोली चलाई और सूटकेस लेकर भाग गया । इस पर, जब वह "चोर चोर" चिल्लाया, तो उक्त ट्रेन के यात्रियों ने चेन खींची और उनमें से कुछ लोग ट्रेन से नीचे उतरे और सूटकेस के साथ उक्त व्यक्ति को पकड़ लिया । इस साक्षी ने आगे बताया है कि सूटकेस छीनने वाले के साथ दो अन्य व्यक्ति भी थे और बाद में उसे पता चला कि वे कुल सात लोग थे, जिनमें से चार भाग गए थे । उसके अनुसार, न्यायालय में उपस्थित अभियुक्तगण में से, वह मोहम्मद नसीम ही था जिसने उसके सीने पर पिस्तौल रखकर उसका सूटकेस छीना था और हवा में तीन बार फायर किया था, तथा अन्य दो व्यक्ति अर्थात् पिंटू उर्फ लंगड़ा और शिव लखन उस सुसंगत समय पर मोहम्मद नसीम के साथ थे, जिन्हें यात्रियों द्वारा भागने की कोशिश करते समय पकड़ लिया गया था । उसके अनुसार, जब अभियुक्त पकड़े गए, तो उन्होंने अपने नाम पिंटू उर्फ लंगड़ा, शिव लखन और मोहम्मद नसीम बताए और यह भी बताया कि चार अन्य व्यक्ति भी उनके साथ थे। इस जानकारी के आधार पर, देहाती नालिसी (प्रदर्श पी-16) दर्ज की गई थी जिस पर उसके द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए थे, और अभियुक्त मोहम्मद नसीम की पहचान प्रदर्श पी-12 के माध्यम से की गई थी। प्रति-परीक्षण में, हालांकि उसने कहा है कि अभियुक्त पिंटू उर्फ लंगड़ा और शिव लखन ने कोई लूट कारित नहीं की है, किंतु उसे यात्रियों द्वारा सूचित किया गया था कि वे भी मुख्य अभियुक्त के साथ थे। तेजेश्वर शुक्ला

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(अ.सा.-1) और हेम कुमार रत्नेश (अ.सा.-2) पुलिस आरक्षक हैं जो उसी ट्रेन में गश्त ड्यूटी पर थे, किंतु उस समय वे कोच क्रमांक एस-1 में थे। उन्होंने बयान दिया है कि शाम लगभग 7.30 बजे जब ट्रेन बिल्हा रेलवे स्टेशन से छूटने वाली थी, उन्होंने पटाखों जैसी कुछ आवाज सुनी, वे ट्रेन से बाहर कूदे और देखा कि कुछ व्यक्ति कोच एस-2 से भाग रहे थे और यात्री "चोर चोर" चिल्ला रहे थे। इसके पश्चात, शिकायतकर्ता वहां आया और सूचित किया कि अभियुक्त पिंटू और शिव लखन के साथ 4-5 अन्य व्यक्ति भी थे, नामतः रमेश साव, सुधीर, जितेन्द्र, पिंकू और मोहम्मद नसीम, और फिर उन्हें रेलवे के उच्च अधिकारियों की अभिरक्षा में सौंप दिया गया। बिल्हा रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर तुलसीराम (अ.सा.-3) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि घटना की तिथि पर वह अपने सहयोगियों के साथ अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे और शाम 7.30 बजे जब लिंक एक्सप्रेस उक्त स्टेशन से छूटने वाली थी, किसी के द्वारा चेन खींची गई। उसने पटाखों जैसी कुछ आवाज सुनी और एक जी.आर.पी. कर्मी को अपने साथ एक व्यक्ति को लाते हुए देखा और उस समय शिकायतकर्ता ने सूचित किया कि फायरिंग करने के बाद उसका ब्रीफकेस छीन लिया गया है। इसके पश्चात, दूसरे और तीसरे व्यक्ति को भी निरुद्ध किया गया और पूछे जाने पर उन्होंने अपने नाम शिव कुमार और पिंटू बताए। विजय प्रसाद (अ.सा.-4) और दिलीप कुमार दुबे (अ.सा.-5) वे साक्षी हैं जो सुसंगत समय पर बिल्हा रेलवे स्टेशन में क्रमशः केबिन मैन और पोर्टर के रूप में कार्य कर रहे थे, उन्होंने तुलसीराम (अ.सा.-3) के समान ही बयान दिए हैं। मनमोहन (अ.सा.-6) ने कहा है कि घटना की तिथि पर वह मनेंद्रगढ़ से बिल्हा आया था और शाम को वह अपने निवास पर था जो रेलवे स्टेशन के ठीक सामने है । उसके अनुसार, उस समय बिजली बंद थी और जब वह घर से बाहर आया, तो उसने देखा कि लिंक एक्सप्रेस रेलवे स्टेशन पर आ रही थी । जब ट्रेन छूटने वाली थी, चेन खींची गई और

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उसने "पकड़ो पकड़ो" की आवाज सुनी और जब वह रेलवे स्टेशन पहुँचा, तो उसे पता चला कि डकैती हुई है । अभियुक्त मोहम्मद नसीम की पहचान करते हुए, इस साक्षी ने बताया कि जब वह रेलवे स्टेशन से लौटा और शौच के लिए जा रहा था, तो उसने रेलवे स्टेशन के पास उस व्यक्ति को खुद को छिपाते हुए देखा चूंकि उसे संदेह हुआ, उसने उपेन्द्र शर्मा (अ.सा.-17) को बुलाया जिसका घर उसके घर के बगल में था । जब उससे पूछा गया कि वह कौन है और कहाँ से आया है, तो अभियुक्त ने उसे सूटकेस रख लेने और उसे जाने देने का अनुरोध किया । तत्पश्चात, इस अभियुक्त को पुलिस को सौंप दिया गया और अगले दिन उसे बिलासपुर लाया गया जहाँ प्रदर्श पी-3 के माध्यम से सूटकेस की जब्ती की गई और इसी प्रकार, प्रदर्श पी-4 और पी-5 के माध्यम से कारतूस, रेलवे टिकट और ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त किए गए । अभियुक्त पिंटू और शिव लखन से जब्ती के संबंध में पूछे जाने पर वह उचित उत्तर नहीं दे सका, इसलिए इस स्तर पर उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया । अभियुक्त सुधीर यादव के संबंध में, इस साक्षी ने विशिष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा है । श्रीमती रूपाली सैनी (अ.सा.-7) ने बयान दिया है कि उन्होंने शिकायतकर्ता (अ.सा.-16) को 2,27,000/- रुपये दिए थे । जीवन लाल मारकंडे (अ.सा.-8) जो रेलवे में टी.टी.ई. हैं, ने बयान दिया है कि घटना की तिथि पर उनकी ड्यूटी रायपुर से कोरबा और कोरबा से बिलासपुर तक थी । उनके अनुसार, बिल्हा स्टेशन पर जब चेन खींची गई, तो वह कोच एस-1 से नीचे उतरे और लोगों को 'चोर चोर' चिल्लाते सुना । उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ भी नहीं देखा और इस स्तर पर उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया । ए.के. सिंह (अ.सा.-9) ने बताया कि उनके निर्देशों पर, उनके क्लर्क ने घटनास्थल का नक्शा प्रदर्श पी-8 तैयार किया था । शत्रुघ्न सिंह (अ.सा.-10), जो कलेक्टर कार्यालय में क्लर्क हैं, ने आयुध अधिनियम की धारा 25 और 27 के तहत अभियोजन चलाने हेतु दी गई अनुमति प्रदर्श पी-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10 को सिद्ध किया है । श्री जय उरांव (अ.सा.-11) एस.डी.ओ. वे साक्षी हैं जिन्होंने 13.3.06 को शिनाख्त परेड आयोजित की थी (प्रदर्श पी-12) । उन्होंने बताया कि 26.02.06 को जी.आर.पी. बिलासपुर के थाना प्रभारी द्वारा अपराध क्रमांक 11/06 के संबंध में अभियुक्त मोहम्मद नसीम की शिनाख्त परेड आयोजित करने हेतु एक मेमो लिखा गया था । 13.3.06 को अन्य व्यक्तियों को उचित रूप से मिलाकर शिनाख्त परेड आयोजित की गई थी, जिसमें शिकायतकर्ता ओमप्रकाश ओझा ने अभियुक्त मोहम्मद नसीम के सिर पर हाथ रखकर उसकी पहचान की थी । उन्होंने आगे बताया कि शिनाख्त परेड पूरी तरह से विधि के अनुसार आयोजित की गई थी जहाँ साक्षियों और अभियुक्त मोहम्मद नसीम के हस्ताक्षर प्राप्त किए गए थे । प्रति-परीक्षण में, यह साक्षी अपनी मुख्य परीक्षा में दिए गए अपने बयान पर अत्यंत दृढ़ प्रतीत होता है । दिनेश कुमार (अ.सा.-12) आर्मरर हैं, जिन्होंने दस्तावेज़ प्रदर्श पी-14 और 14-ए को सिद्ध किया है । आर.के. तोंडे (अ.सा.-13) ने विवेचना का एक हिस्सा पूर्ण किया है । अनूप राम साहू (अ.सा.-14) प्रधान आरक्षक हैं, जिन्होंने रोजनामचा सान्हा प्रदर्श पी-5 दर्ज किया था । बी.एस. पिल्लई (अ.सा.-15) लोको पायलट हैं, जिन्होंने अपने न्यायालयीन कथन में बताया है कि घटना की तिथि पर बिल्हा में ट्रेन की चेन खींची गई थी । उपेन्द्र कुमार शर्मा (अ.सा.-17) उन वस्तुओं की जब्ती का साक्षी है जो प्रदर्श पी-3, पी-4 एवं पी-5 के तहत की गई थीं । आर.पी. चेलक (अ.सा.-18) विवेचना अधिकारी हैं, जिन्होंने अभियोजन के मामले का विधिवत समर्थन किया है । सुशील सचदेव (अ.सा.-19) शिकायतकर्ता ओमप्रकाश ओझा के साथ उसी ट्रेन में यात्रा कर रहा था और उनके बगल में बैठा था । उन्होने बताया है कि बिल्हा में, अभियुक्तगण /अपीलर्थीगण और 3-4 व्यक्तियों ने कोच में प्रवेश किया, अन्य 6-7 अभियुक्तगण के साथ मिलकर शिकायतकर्ता ओमप्रकाश ओझा का ब्रीफकेस छीना और

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हवा में गोली चलाई, उसके पश्चात अभियुक्तगण में से एक नकद राशि वाला ब्रीफकेस लेकर भाग गया और वे उक्त कोच से फरार होने की कोशिश करने लगे । उसने अन्य यात्रियों के साथ मिलकर चेन खींची और पुलिस की सहायता से दो अभियुक्तगण को पकड़ लिया गया तथा एक अभियुक्त को ब्रीफकेस के साथ गिरफ्तार किया गया । उसने आगे बताया है कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए दो व्यक्तियों ने अपने नाम पिंटू और शिव लखन बताए । उन्होंने अन्य अभियुक्तगण जितेन्द्र, हेमंत और पिंकू के नाम भी बताए । उसने आगे कहा कि वह अभियुक्त पिंटू उर्फ लंगड़ा, शिव लखन और मोहम्मद नसीम को बहुत अच्छी तरह से पहचान सकता है क्योंकि वह घटना के समय वहां उपस्थित था और उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया था । जे.एल. मंडावी (अ.सा.-20), जिनका परीक्षण अभियुक्त/अपीलार्थी सुधीर यादव के संबंध में किया गया है, उन्होंने बताया कि घटना की तिथि पर बिल्हा में चेन खींची गई थी और उन्हें चालक से पता चला कि कोच एस-2 में डकैती हुई है । अश्विनी कुमार दुबे (अ.सा.-21), जो उस समय टी.टी.ई. के रूप में कार्य कर रहे थे, उनका भी परीक्षण कराया गया है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. साक्षियों के साक्ष्यों और अभिलेखों पर उपलब्ध अन्य सामग्री के गहन परीक्षण के इस कठिन कार्य को पूर्ण करने के पश्चात, यह स्पष्ट हो गया है कि घटना की तिथि पर जब शिकायतकर्ता (अ.सा.-16) कोरबा में विभिन्न व्यक्तियों से नगद राशि एकत्र करने के बाद ट्रेन में यात्रा कर रहा था और जैसे ही उक्त ट्रेन बिल्हा रेलवे स्टेशन से छूटने वाली थी, अभियुक्तगण में से एक उसके पास आया और उसके सीने पर पिस्तौल रखकर सूटकेस छीनने का प्रयास किया । अभिलेखों से यह भी प्रकट होता है कि जब प्रारंभ में उक्त अभियुक्त अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ, तो उसने हवा में गोली चलाई और 4,46,930 रुपये नकद, शिकायतकर्ता के मासिक सीजन टिकट और पहचान पत्र वाले सूटकेस के साथ भाग गया । शिकायतकर्ता के साक्ष्य से यह भी प्रतीत होता है कि उस समय सूटकेस

छीनने वाले के साथ दो अन्य व्यक्ति भी थे । शिकायतकर्ता के साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि वह अभियुक्त मोहम्मद नसीम ही था जिसने दो अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर उसका सूटकेस छीना था, जिन्होंने पूछताछ पर अपने नाम पिंटू उर्फ लंगड़ा और शिव लखन बताए थे । अभिलेखों से ज्ञात होता है कि अभियुक्त मोहम्मद नसीम और सुधीर की पहचान शिकायतकर्ता द्वारा विधि के अनुसार आयोजित शिनाख्त परेड में की गई है । यद्यपि अभियुक्त पिंटू और शिव लखन के संबंध में शिनाख्त परेड आयोजित नहीं की गई थी, किंतु इससे अभियोजन के मामले में कोई अंतर नहीं पड़ता क्योंकि वे यात्रियों द्वारा घटनास्थल पर ही पकड़े गए थे और फिर पुलिस को सौंपे गए थे । इसके अलावा, शिकायतकर्ता के साक्ष्य की पुष्टि अन्य साक्षियों द्वारा भी की गई है और शिकायतकर्ता से संबंधित पहचान पत्र और सामान के टिकट वाले सूटकेस तथा 4,46,930 रुपये नकद की अभियुक्त मोहम्मद नसीम से जब्ती; अभियुक्त पिंटू से दिनांक 24.2.2006 का कोरबा से बिलासपुर का रेलवे टिकट और तीन जीवित कारतूस; तथा अभियुक्त शिव लखन से दिनांक 24.2.2006 का कोरबा से बिलासपुर का रेलवे टिकट और कुछ अन्य कागजों की जब्ती को अभियोजन द्वारा विधिवत सिद्ध किया गया है । इसके अतिरिक्त, अभियुक्त गणों द्वारा लिया गया यह बचाव कि वे उक्त ट्रेन में यात्रियों के रूप में यात्रा कर रहे थे, इस न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि वे उस संबंध में कोई रेलवे टिकट और उनके द्वारा ले जाए जा रहे सामान को प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं । चलती ट्रेन में हवा में गोली चलाकर यात्रियों के बीच आतंक का माहौल पैदा करने और शिकायतकर्ता के नकद राशि और अन्य चीजों वाले सूटकेस को लूटने के इस दुस्साहसिक कृत्य को इस न्यायालय द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता । इस मामले के तथ्यों को देखते हुए, इस न्यायालय के पास अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण /अपीलर्थीगण को धारा 395 भा.दं.सं. के तहत दोषसिद्ध करने के दृष्टिकोण से भिन्न राय रखने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. परिणामतः, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष न्यायसंगत और उचित हैं और इस न्यायालय द्वारा उनमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । तदनुसार, ये अपीलें सारहीन होने के कारण एतद्द्वारा खारिज की जाती हैं ।

हस्ताक्षरित

प्रीतिंकर दिवाकर

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By Adv. Ashutosh Dwivedi